दूरभाष संख्या : 0141– 2385104
फैक्स संख्या :0141– 2385222
एक्सटेंशन संख्या :225 / 224
ई–मेल cecpayjaipur@gmail.com

कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु व सेवाकर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर
नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी–स्कीम, जयपुर–05
(वेतन एवं लेखा शाखा)

कार्यालय आदेश

यह पाया गया है कि इस आयुक्तालय कार्यालय के परिक्षेत्रान्तर्गत स्थित संभाग कार्यालयों के द्वारा अपने प्रशासनिक नियन्त्रण के अन्तर्गत आने वाले ग्रुप ''ब'' एवं ''स'' अधिकारियों / कर्मचारियों के TA Advance/TA/LTC-HTC Advance/ LTC-HTC दावों को आयुक्तालय, मुख्यालय, जयपुर में स्वीकृति हेतु प्रेषित कर रहे हैं। जबकि संभाग कार्यालय के उप / सहायक आयुक्त ''कार्यालय प्रमुख'' के रुप में अधिकृत हैं। उक्त प्रकार के दावों हेतु GFR Rule 48/49 एवं 52 के अनुसार ''कार्यालय प्रमुख'' (Head of Office) को स्वीकृति अधिकारी माना गया है। इसके अनुसार सभी संभाग कार्यालयों के प्रमुख Head of Office के रुप में अपने प्रशासनिक नियन्त्रणाधिकार के अन्तर्गत कार्यरत ग्रुप ''ब'' एवं ''स'' के उपर्युक्त दावों पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी है।

अतः सभी संभाग प्रमुखों (उप / सहायक आयुक्त) को निर्देश दिए जाते हैं, कि भविष्य में उक्त प्रकार के दावों को सभी नियमों / उपनियमों की अनुपालना करते हुए निस्तारण करें तथा केवल संभाग प्रमुख स्वयं के दावों, जिनके वह स्वयं नियन्त्रणाधिकारी नहीं है, से संबंधित पत्रावलियॉ ही मुख्यालय में उच्चाधिकारी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(मंजूर अली अंसारी)
अपर आयुक्त (का.एवं सत.)

F. No. : III-20(13)/लेखा / विविध / 2019-20 / 317

दिनांक : 6.01.2020

प्रतिलिपि : सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी.एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर जोन), जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रधान आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर
3. वेतन एवं लेखाधिकारी, सी.जी.एस.टी.एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर।
4. उप / सहायक आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु व सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क संभाग–ए,बी,सी,डी,ई,एफ,जी,एच, जयपुर एवं संभाग–जे. एव के अजमेर
5. अधीक्षक (कम्प्यूटर) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. नोटिस बोर्ड